



प्रेस नोट 01- दिनांक 01.02.2024
साइबर क्राइम थाना, जनपद उन्नाव ।

**• आवेदक के खाते से फ्रॉड की गयी सम्पूर्ण धनराशि
3,71,500/- रु0 करायी गयी वापस**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आवेदक के खाते से फ्रॉड तरीके से निकाले गये कुल 3,71,500/- रु0 रुपये वापस कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 02.12.2023 को साइबर क्राइम सेल, जनपद उन्नाव में आवेदक डॉ० श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम कुमार निवासी ओम नगर नाला कब्बा खेड़ा, थाना कोतवाली सदर, जनपद-उन्नाव द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत फ्राडस्टर कॉलर द्वारा एनी डेस्क (रिमोट एप्प) डाउनलोड करवाकर ओ.टी.पी. प्राप्त करके क्रेडिट कार्ड से 371500/- रुपये का फ्राड कर लिया गया था। जिसपर आवश्यक कार्यवाही करते हुए साइबर क्राइम थाना, उन्नाव की टीम द्वारा 371500/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में रिफण्ड कराये गये।



कार्यवाही करने वाली टीम:-

1. निरी० श्री अश्वनी कुमार मिश्रा, प्रभारी साइबर क्राइम थाना, जनपद-उन्नाव ।
2. निरी० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, साइबर क्राइम थाना, जनपद उन्नाव ।
3. उ०नि० श्री सुभाषचन्द्र, साइबर क्राइम थाना, जनपद उन्नाव ।
4. उ०नि० श्री बीर बहादुर सिंह, साइबर क्राइम थाना, जनपद उन्नाव ।
5. मुख्य आरक्षी तरुण कुमार सिंह, साइबर क्राइम थाना, जनपद-उन्नाव ।
6. आरक्षी शमसुदीन, साइबर क्राइम थाना, जनपद-उन्नाव ।
7. आरक्षी मोनू यादव, साइबर क्राइम थाना, जनपद-उन्नाव ।
8. महिला आरक्षी कुन्ती अग्रवाल, साइबर क्राइम थाना, जनपद-उन्नाव ।
9. महिला आरक्षी श्रुति मिश्रा, साइबर क्राइम थाना, जनपद-उन्नाव ।



प्रेस नोट 02- दिनांक 01.02.2024
थाना बिहार, जनपद उन्नाव ।

• दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 19.12.2023 को थाना बिहार पर मु0अ0सं0 268/23 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भा0दं0वि0 व ¾ पाँक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। दिनांक 31.01.2024 को उ0नि0 श्री विमलकान्त गोयल मय हमराह

फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विजय कुमार कोरी पुत्र शीतला प्रसाद उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम वदनखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव को ग्राम कपूरपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्त - विजय कुमार कोरी पुत्र शीतला प्रसाद उम्र करीब 20 वर्ष

निवासी ग्राम वदनखेड़ा थाना बिहार जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.उ०नि० विमलकान्त गोयल थाना बिहार उन्नाव ।

2.हे०कां० धीरेन्द्र सिंह थाना बिहार उन्नाव ।

3.का० शैलेश यादव थाना बिहार उन्नाव ।



प्रेस नोट 03- दिनांक 01.02.2024

जनपद उन्नाव ।

• दो वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस एवं थाना हसनगंज पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना बांगरमऊ- दिनांक 31.01.2024 को थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा केश न० 698/98

अ०सं० 190/98 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव ता० पेशी०

31.1.24 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 01 उन्नाव से सम्बन्धित वारण्टी लालता

लोध पुत्र श्यामलाल लोध निवासी ग्राम नयागांव मजरा अशायस थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र

करीब 58 वर्ष को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया ।

थाना हसनगंज - दिनांक 31.01.2024 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा केश नं0 1561/16 धारा 3/25 आर्म एक्ट मा0 सिविल जज (सी0डी0) एफटीसी उन्नाव तारीख पेशी 01.02.24 से सम्बन्धित वारंटी अभि0 अफरोज अहदम पुत्र स्व0 सुलतान अहमद नि0ग्राम कर्बला कस्बा मोहान थाना हसनगंज उन्नाव को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।



प्रेस नोट 04- दिनांक 01.02.2024
थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव।

• एक अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस व 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस व 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 31.01.2024 को उ0नि0 श्री कल्लूराम यादव मय हमराह फोर्स द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान अभियुक्त राजेश उर्फ डिन्गा पुत्र श्री केशन लोध उम्र

करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम साल्हेनगर करौंदी थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को कब्जे से एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक प्लास्टिक के झोले में 1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज बरामद कर कुसैला मोड़ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 19/2024 धारा 3/25 A Act व मु0अ0सं0 20/2024 धारा 18/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया ।

नाम पता अभियुक्त - राजेश उर्फ डिंगा पुत्र श्री केशन लोध उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम साल्हेनगर करौंदी थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण- एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक प्लास्टिक के झोले में 1 किलो 200 ग्राम गांजा नाजायज

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 54/15 धारा 380/457/411 भादवि
2. मु0अ0सं0 90/15 धारा 380/411 भादवि
3. मु0अ0सं0 452/16 धारा 3/25 ए एक्ट
4. मु0अ0सं0 341/17 धारा 380/411 भादवि
5. मु0अ0सं0 396/17 धारा 3/25 ए एक्ट
6. मु0अ0सं0 226/18 धारा 457/380/411 भादवि
7. मु0अ0सं0 233/15 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट
8. मु0अ0सं0 376/19 धारा 41/411 भादवि
9. मु0अ0सं0 838/14 धारा 380/411 भादवि
10. मु0अ0सं0 248/19 धारा 379/411 भादवि थाना माखी
11. मु0अ0सं0 44/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना माखी
12. मु0अ0सं0 509/21 धारा 3/25 ए एक्ट
13. मु0अ0सं0 354/21 धारा 3/25 ए एक्ट
14. मु0अ0सं0 19/2024 धारा 3/25 ए एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0 कल्लूराम यादव

हे0का0 ईश्वरदयाल

का0 राजेन्द्र प्रसाद

का0 अरुण कुमार



प्रेस नोट 05- दिनांक 01.02.2024
थाना मांखी, जनपद उन्नाव ।

- हत्या के वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया तथा दो आरोपी बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया तथा दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 29.01.2024 को थाना माखी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मर्दनखेड़ा मजरा रूपऊ में सर्वेश पुत्र सुरेश उम्र करीब 28 वर्ष अपने परिवार के ही मन्नालाल पुत्र रामू व अमित ,सुमित पुत्रगण मन्नालाल के पास गया था, जहां दोनों पक्षों के मध्य विवाद एवं मारपीट हो गई। जिसमें सर्वेश पुत्र सुरेश उपरोक्त की गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। मृतक के पिता सुरेश पुत्र स्व० बाबूलाल की तहरीर पर मु०अ०सं० 26/24 धारा 302 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया था । दिनांक 31.01.2024 को थानाध्यक्ष श्री संदीप कुमार मिश्रा मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मन्नालाल पुत्र रामू उम्र करीब 45 वर्ष नि० ग्राम मर्दनखेड़ा मजरा रूपऊ थाना माखी जनपद उन्नाव व अभियुक्ता सीमा पत्नी मन्नालाल उम्र करीब 40 वर्ष नि० ग्राम मर्दनखेड़ा मजरा रूपऊ थाना माखी जनपद उन्नाव को कब्जे से आला कल्ल एक अदद लकड़ी का डण्डा बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा दो आरोपी बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

नाम पता अभियुक्तगण –

1. मन्नालाल पुत्र रामू उम्र करीब 45 वर्ष नि० ग्राम मर्दनखेड़ा मजरा रूपऊ थाना माखी जनपद उन्नाव
2. सीमा पत्नी मन्नालाल उम्र करीब 40 वर्ष नि० ग्राम मर्दनखेड़ा मजरा रूपऊ थाना माखी जनपद उन्नाव
3. दो बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिये गये।

बरामदगी का विवरण- एक अदद लकड़ी का डण्डा आला कल्ल

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार मिश्रा
2. हे०का० विमल मिश्रा
3. का० कपिल कुमार
4. का० हरित डिल्लों
5. म०का० नेहा शुक्ला
6. म०का० खुशबू



